कजोड़ बनाम पताली देवी मु.नं. 37/20

दिनांक	आज्ञा पत्र	
21.11.24	पत्रावली पेश। अपील उभयपक्ष उप.। वास्ते बहस दिनांक 2.12.24 को पेश हो	
2.12.24	पत्रावली पेश। वकील उत्तरदाता उप.। वास्ते बहस दिनांक 19.12.24 को पेश हो	
19.12.24	पत्रावली पेश। वकील उत्तरदाता उप.। वास्ते बहस। दिनांक 3.1.25 को पेश हो	
3.1.25	पत्रावली पेश। वकील उत्तरदाता उप.। वास्ते बहस। दिनांक 18.3.25 को पेश हो	
18.3.25 (विनोद कुमार) (शिवपाल यादव)	पत्रावली पेश। उभयपक्ष ने प्रकरण सहमति से निस्तारण हेतु निवेदन किया। निस्तारण हेतु आदेशिका पर हस्ताक्षर किये। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 21.3.25 को पेश हो भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	
21.3.25	पत्रावली पेश। अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल्त शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 37 / 2020

1 कजोड़ पुत्र श्री मोतीराम जाति जाट निवासी ढाणी बागवाली वार्ड नम्बर 2 श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.। मृत
1/1 राधा देवी पत्नी स्व. कजोड़
1/2 मुकेश कुमार पुत्र स्व. कजोड़
1/3 मोहनलाल पुत्र स्व. कजोड़
1/4 कालुराम पुत्र स्व. कजोड़
1/5 बनवारीलाल पुत्र स्व. कजोड़
समस्त जाति जाट निवासी ढाणी बागवाली वार्ड नम्बर 2 श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।
1/6 प्रेमदेवी पुत्री स्व. कजोड़ पत्नी राजेन्द्र कुमार निवासी ढाणी माछावाली रींगस जिला सीकर राज.।
1/7 संतरा देवी पुत्री स्व. कजोड़ पत्नी कैलाशचन्द जाट निवासी रामसागर जोहड़ा आसपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।
1/8 आशा देवी पुत्री स्व. कजोड़ पत्नी बहादुर सिंह जाति जाट निवासी रामसागर जोहड़ा आसपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।

अपीलांटस

बनाम

1 पतासी देवी पत्नी श्री मूंगाराम
2 भागीरथ मृत
2/1 दुर्गा देवी पत्नी स्व. भागीरथ
2/2 बाबुलाल पुत्र स्व. भागीरथ
2/3 सुरेश पुत्र स्व. भागीरथ निवासी ढाणी बागवाली वार्ड नम्बर 2 श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।
2/4 संतोष पुत्री स्व. भागीरथ पत्नी सरदारमल
2/5 गीता पुत्री स्व. भागीरथ पत्नी श्योपाल
2/6 संतरा पुत्री स्व. भागीरथ पत्नी राकेश

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

समस्त निवासी ढाणी तांगली करीरी पोस्ट खेजरोली जिला जयपुर राज.।
2/7 रूक्मा देवी पुत्री स्व. भागीरथ पत्नी रमेशचन्द्र कलवानिया निवासी ढाणी पांचावाली उणतपुरा राडावास जिला जयपुर राज.।
3 प्रभात पुत्र श्री मूंगाराम
4 जगदीश पुत्र श्री मूंगाराम
5 फूलाराम पुत्र श्री मूंगाराम
6 धर्मवीर पुत्र श्री मूंगाराम मृत
6/1 संतोष पत्नी स्व. धर्मवीर
6/2 मोहित पुत्र स्व. धर्मवीर
6/3 अक्षय पुत्र स्व. धर्मवीर
6/4 बबीता पुत्री स्व. धर्मवीर नाबालिग जरिये संरक्षक माता संतोष देवी
6/5 संजू पुत्री स्व. धर्मवीर नाबालिग जरिये संरक्षक माता संतोष देवी समस्त जाति जाट निवासीगण ढाणी बागवाली वार्ड नम्बर 2 हाल वार्ड नम्बर 4 श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।
6/6 सुमन पुत्री स्व. धर्मवीर पत्नी रोहिताश जाति जाट निवासी लीला की ढाणी तन थोई जिला नीमकाथाना राज.।
6/7 उर्मिला पुत्री स्व. धर्मवीर पत्नी महेश जाति जाट निवासी लीला की ढाणी तन थोई जिला नीमकाथाना राज.।
7 सोनी देवी पुत्री श्री मूंगाराम
8 संज्या देवी पुत्री श्री मूंगाराम
9 श्रवणी देवी पुत्री श्री मूंगाराम
10 गौरा देवी पुत्री श्री छीतरमल
11 मालीराम पुत्र श्री छीतरमल
12 श्रवणलाल पुत्र श्री छीतरमल
13 सुरजी देवी पुत्री श्री छीतरमल
14 कौशल्या देवी पुत्री श्री छीतरमल
15 संती देवी पुत्री श्री छीतरमल
16 नन्छी देवी उर्फ निरमा देवी पुत्री श्री छीतरमल
17 भींवाराम पुत्र मोतीराम मृत
17/1 तीजा देवी पत्नी स्व. भींवाराम
17/2 प्रकाश पुत्र स्व. भींवाराम
17/3 चेतन पुत्र स्व. भींवाराम

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

समस्त जाति जाट निवासीगण ढाणी बागवाली वार्ड नम्बर 2 हाल वार्ड नम्बर 4 श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।
17/4 सुनिता पुत्री स्व. भींवाराम पत्नी दीपचन्द
17/5 दीपा पुत्री स्व. भींवाराम पत्नी बलवीर
17/6 पिंकी पुत्री स्व. भींवाराम पत्नी सुनील
समस्त जाति जाट निवासी लाम्बावाली भोपतपुरा तन रींगस जिला सीकर राज.।
18 अर्जुनलाल पुत्र श्री मोतीराम
समस्त जाति जाट निवासीगण ढाणी बागवाली वार्ड नम्बर 2 श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।
19 पटवारी हल्का बस्सी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
20 उप पंजीयक श्रीमाधोपुर।
21 उप पंजीयक खण्डेला जिला सीकर।
22 भूमिधारी जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध प्रारम्भिक डिक्री आदेश दिनांक 04.10.2019
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला उनवानी प्रकरण
कजोड़ बनाम पतासी आदि दावा संख्या 367/12 अपील
अन्तर्गत धारा 223 आर.टी.एक्ट

उपस्थिति :

1. श्री विनोद कुमार सरोज, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री शिवदयाल यादव, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
सत्यमेव जयते

–निर्णय–

दिनांकः– 21/3/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला द्वारा मुकदमा नम्बर 367/2012 में पारित निर्णय दिनांक 04.10.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट द्वारा विचारण न्यायालय में वादपत्र इस आशय का पेश किया कि भूमि खसरा नम्बर 1515 रकबा 0.98 है., खसरा नम्बर 1516 रकबा 1.21 है., खसरा नम्बर 1522 रकबा 0.22 है., खसरा नम्बर 1526 रकबा 0.88 है., खसरा नम्बर 1527 रकबा 0.30 है., खसरा नम्बर 1528 रकबा 0.29 है., कुल किता 6 कुल रकबा 3.88 है. तन ग्राम बस्सी पटवार हल्का बस्सी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में अवस्थित है। उक्त भूमि में वादी 1/8 हिस्सा का काबिज काश्तकार है तथा 1/2 हिस्सा के खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 व 1/8 हिस्से के खातेदार प्रतिवादी 10 ता 16 व 1/8 हिस्से के खातेदार प्रतिवादी 17, 1/8 हिस्से के खातेदार प्रतिवादी 18 है। वादी द्वारा विधिक बंटवारा किये जाने हेतु उक्त वाद पत्र विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 04.10.2019 को विभाजन प्रस्ताव रिपोर्ट तहसीलदार से मंगवाये जाने के आदेश दिये गये तथा दिनांक 03.02.2020 को उक्त गलत रूप से किये गये विभाजन प्रस्ताव के आधार पर उक्त दावा डिक्री कर दिया गया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष ने प्रकरण सहमति से रिमांड करने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। उभयपक्ष ने वरवक्त बहस सहमति व्यक्त कर प्रकरण विचारण न्यायालय को रिमांड करने का निवेदन किया है। उभयपक्ष के अधिवक्ता ने आदेशिका पर सहमति के हस्ताक्षर भी किये है।

उपरोक्त विवेचन एवं उभयपक्ष की सहमति के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि विधिक प्रक्रिया अनुसार उभयपक्ष की उपस्थिति में तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.04.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 21/3/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सत्यमेव जयते
सीकर